## <u>न्यायालय : राश्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ, अंजड जिला बड़वानी</u> {समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

## <u>दीवानी प्रकरण क्रमांक 16-ए/2017</u> <u>संस्थित दिनांक- 09.10.2017</u>

 रामू पिता,स्व0 गोकुल,भीलाला, उम्र— 43 वर्ष, धंधा कृशि, निवासी ग्राम कोडिया, तहसील अंजड,जिला— बडवानी (म.प्र.)

 सीताराम पिता,स्व0 गोकुल,भीलाला, उम्र— 36 वर्ष, धंधा कृशि एवं वकालात, निवासी ग्राम कोडिया,तहसील अंजड़, जिला— बडवानी (म.प्र.)

–<u>वादीगण</u>

## वि रू द्व

- श्रीमती मांगीबाई पिता स्व0 गोकुल, पित राजु भीलाला, उम्र— 48 वर्ष, निवासी ग्राम कोडिया, तहसील अंजड़, जिला— बड़वानी (म.प्र.)
- श्रीमती पुनीबाई पिता स्व0 गोकुल, पित भारत भीलाला, उम्र— 45 वर्ष, निवासी ग्राम कोडिया, हा०मु० मुडियापुरा, तहसील अंजड़, जिला— बड़वानी (म.प्र.)
- 3. श्रीमती सलुबाई पिता स्व० गोकुल,पति नयनसिंग भीलाला, उम्र— 42 वर्ष,निवासी ग्राम कोडिया,तहसील अंजड़, जिला— बडवानी (म.प्र.)
- 4. श्रीमती सीताबाई पिता स्व0 गोकुल,पति ताराचंद भीलाला, उम्र— 38 वर्ष,निवासी ग्राम कोडिया,हा0मु0ग्राम बालकुआं तहसील व जिला— बडवानी (म.प्र.)
  - म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बडवानी,जिला– बडवानी (म.प्र.)

–प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता	– श्री विशाल कर्मा
प्रतिवादीगण	– श्री आर०के०श्रीवास

## —: <u>नि र्ण य</u>:— (आज दिनांक 09/12/2017 को घोषित)

**01**- वादीगण ने यह वाद प्रतिवादी कं0 1 से 4 के विरूद्ध ग्राम कोडिया पटवारी हल्का नं0 9 तहसील अंजड में स्थित कृशि भूमि खसरा नं0 74/34,77/1,78/2,79/5 तथा 79/6 कुल रकबा 2.537 हेक्ट0 तथा सर्वे नं0 74/41,79/3 कुल रकबा 0.915 हेक्ट0

(जिसके आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा) पर अपने स्वत्व की घोशणा तथा उक्त वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी कं0 1 से 4 का नाम कम करवाने के लिये प्रस्तुत किया हैं।

- 02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि,वादीगण प्रतिवादी कं0 1 से 4 के सगे भाई है तथा वादग्रस्त भूमि उनके पिता स्व0 गोकुल के सम्पत्ति थी जिनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कं0 1 से 4 के नाम पर दर्ज हुयी है।
- 03. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि,वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमियां वादीगण के हिस्से में आयी है,तथा तहसीलदार अंजड के आदेश से वादीगण एवं प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ हैं,लेकिन प्रतिवादी कं0 1 से 4 का नाम राजस्व अभिलेखों में स्वत्वहीन रूप से दर्ज हैं। उक्त प्रतिवादीगण को उनके विवाह के समय ही कन्यादान में घरेलु सामान और स्थित धन के रूप में आभूशण दे दिये थे,तथा वादग्रस्त भूमि पर उनका स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। इस कारण वादीगण ने यह वाद राजस्व अभिलेखों से प्रतिवादीगण का नाम कम कराने के लिये प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी कं0 5 के विरुद्ध वादीगण ने कोई सहायता नहीं चाही हैं।
- 4. प्रतिवादी कं0 1 से 4 ने उपस्थित होकर वादीगण से राजीनामा पेश किया है,तथा वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का नाम दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं की हैं।
- 5. राजीनामें के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी कं0 1 से 4 का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया हैं जिन्होंने राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक होना स्वीकार किया हैं। प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक हैं। पक्षकारगण राजीनामा करने में सक्षम है उनके मध्य कोई दुरिभसंधि नहीं हैं। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर निम्नानुसार डिकी पारित की जाती है:—
- अ. यह घोशित किया जाता है कि, ग्राम कोडिया पटवारी हलका नं० 9 तहसील अंजड में स्थित कृशि भूमि खसरा नं० 74/34,77/1,78/2,79/5 तथा 79/6 कुल रकबा 2.537 हेक्ट० तथा सर्वे नं० 74/41,79/3 कुल रकबा 0.915 हेक्ट० की भूमियां वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की हैं।
- **ब.** वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी कं0 1 से 4 का नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।
- स. राजीनामा आवेदन डिक्री का भाग होगा।
- 6. उभय पक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार जोड़ा जाये।

उक्त अनुसार डिकी बनायी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / —
(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य)
राश्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ
अंजड़, जिला बड़वानी म०प्र०

सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) राश्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ अंजड़, जिला बड़वानी म0प्र0